आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 171/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पता तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती निर्मला राठौड,
2. श्री अमर सिंह राठौड,
   पता :— 241 सुरदासोत, जूसरी, तहसील मकराना, जिला नागौर।
   एवं फ्लेट नम्बर 402, चतुर्थ तल, सिंगीज सफायर स्पेस, प्लॉट नम्बर डी—80, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
   एवं 402 पदम सफीरा, प्लॉट नम्बर डी—121 एन, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. श्रीमती भंवर कंवर,
   पता :— 241 सुरदासोत, जूसरी, तहसील मकराना, जिला नागौर।
   एवं फ्लेट नम्बर 402, चतुर्थ तल, सिंगीज सफायर स्पेस, प्लॉट नम्बर डी—80, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
4. श्री धीरेन्द्र सिंह शेखावत
   पता :— 241 सुरदासोत, जूसरी, तहसील मकराना, जिला नागौर।
   एवं फ्लेट नम्बर 402, चतुर्थ तल, सिंगीज सफायर स्पेस, प्लॉट नम्बर डी—80, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
   एवं 174 ए, भाभा मार्ग, पंचायत समिति के पीछे, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002

उपस्थितः—

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री घनश्याम सिंह शेखावत, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश दिनांक 12.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी श्री विक्रम सिंह के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 402, चतुर्थ तल, सिंगीज सफायर स्पेस, प्लॉट नम्बर डी—80, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, बिल्ट अप एरिया 2011 वर्गफीट को बन्धक रखकर कुल राशि 85,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने. The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह शेखावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा गया है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 85,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 82,61,533/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी श्री विक्रम सिंह के स्वामित्व की सम्पति फलेट नम्बर 402, चतुर्थ तल, सिंगीज सफायर स्पेस, प्लॉट नम्बर डी–80, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, बिल्ट अप एरिया 2011 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा एक माह पश्चात् जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक **12.05.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल) 12/05/22
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर